

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक. /2016 निगरानी

अम-3039-F-16

401

1. अवधेश } पुत्रगण
2. नीकेश } हरीराम  
नबालिक संरक्षक पुत्र हरीराम पुत्र  
जगन्नाथ
3. दीपक पुत्र केशवसिंह
4. बाबूलाल उर्फ बाबूसिंह पुत्र चुन्नीलाल
5. केशव पुत्र चुन्नीसिंह
6. हरीसिंह उर्फ हरीराम पुत्र जगन्नाथ
7. राजाराम पुत्र बाबूलाल
8. राकेश पुत्र राजाराम
9. देवेन्द्र पुत्र राजाराम
10. सुनीता पुत्री जगन्नाथ
11. रामकुंअरि वेवा पत्नी जगन्नाथ समस्त  
जाति किरार निवासी ग्राम विसंगपुरा  
तहसील जौरा जिला मुरैना
12. मुन्नी पुत्री बाबूलाल पत्नी महेन्द्रसिंह  
निवासी ग्राम बरेठा तहसील व जिला  
ग्वालियर
13. चन्द्रकला पुत्री बाबूलाल पत्नी दिलीप  
सिंह निवासी नन्दे का पुरा तहसील व  
जिला मुरैना
14. बूदाबाई पत्नी बाबूलाल निवासी ग्राम  
विसंगपुरा तहसील जौरा जिला मुरैना  
म0प्र0

श्री S.P. Mahond Ad

द्वारा आज दि 06/09/16 को  
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल ग्वालियर

--- आवेदकगण

बनाम

1. दर्शनलाल उर्फ दर्शनसिंह पुत्र बाबूलाल
2. सूरजसिंह पुत्र दर्शनसिंह किरार  
निवासीगण ग्राम विसंगपुरा तहसील  
जौरा जिला मुरैना म0प्र0
3. केदार सिंह पुत्र नबाब सिंह
4. कम्पोटर पुत्र नबाब सिंह ग्राम सुसेरा  
कोठी तहसील व जिला ग्वालियर
5. चन्द्रावती पुत्री नबाब सिंह निवासी ग्राम  
निटहरा तहसील जौरा जिला मुरैना  
म.प्र.

---अनोवदकगण


निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959  
न्यायालय अनु.वि.अधि. जौरा जिला मुरैना के प्रक.  
17/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2016  
के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3039-एक/16

जिला - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p> <p>3</p>	